कमला नेहरू अस्पताल में पीईटी-सीटी सेंटर का विरोध, संगठनों ने उठाए रेडिएशन और कब्जे के सवाल

गैस पीड़ित अस्पताल में निजी कंपनी को जगह देने पर बवाल

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

भोपाल. कमला नेहरू अस्पताल में पीईटी-सीटी मशीन लगाने को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। गैस पीड़ित संगठनों ने आरोप लगाया है कि गैस पीड़ितों के इलाज के लिए बने अस्पताल पर धीरे-धीरे गांधी मेडिकल कॉलेज और इससे संबंध हमीदिया अस्पताल का कब्जा बढ़ता जा रहा है। संगठनों ने मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से शिकायत की है।संगठनों ने गैस पीड़ितों के इलाज की निगरानी कमेटी से भी शिकायत की है और सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी भी शुरू कर दी है।

संगठनों का कहना है कि कमला नेहरू अस्पताल विशेष रूप से गैस पीड़ितों के इलाज के लिए बना है, लेकिन यहां गैस पीड़ितों का इलाज ही सीमित किया जा रहा है। अस्पताल के बड़े हिस्से का उपयोग दूसरे विभागों और सेवाओं के लिए किया जा रहा है। इसकी जगह पर पीपीपी मोड पर पीईटी-सीटी मशीन स्थापित की जा रही है। मशीन का संचालन एक निजी कंपनी करेगी। बंकर भी बनाया गया है। इससे विवाद और बढ़ गया है।

बंकर जाने के रास्ते को लेकर बढ़ा विवाद: विवाद की सबसे बड़ी वजह बंकर जाने वाला रास्ता है, जो कमला नेहरू अस्पताल के ग्राउंड फ्लोर से होकर जा रहा है। संगठनों का कहना है कि जब बंकर अलग बनाया गया है तो उसका रास्ता भी अलग होना चाहिए था। अस्पताल के भीतर से रास्ता देना नियमों और मरीजों की सुरक्षा, दोनों के विरूद्ध है।

बच्चों और गर्भवतियों की सुरक्षा पर सवाल: संगठन की रचना ढींगरा ने कहा कि अस्पताल में बच्चों और गर्भवती महिलाओं का इलाज होता है। बच्चा वार्ड भी इसी परिसर में है। ऐसे में पीईटी-सीटी यूनिट के रास्ते से आने-जाने वाले लोगों और मशीन से जुड़े रेडिएशन को लेकर खतरा बढ़ सकता है। इससे मरीजों की परेशानी बढ़ेगी।

फाइल देखकर बताएंगे: प्रभारी डीन डॉ. आरपी कौशल ने कहा कि उन्हें मामले की पूरी जानकारी नहीं है। मैंने प्रभारी तौर पर काम संभाला हुआ है। टेंडर और फाइल देखने के बाद ही वे कुछ कह पाएंगे।

बेटी से मिलने आए पिता की पांचवीं मंजिल से गिरकर मौत

भोपाल @ पत्रिका. शहर के कजलीखेड़ा थाना इलाके में बनीं दृष्टि सिटी मल्टीस्टोरी बिल्डिंग के पांचवें फ्लोर से शनिवार-रविवार की दरमियानी देर रात दो बजे गिरकर एक व्यक्ति की मौत हो गई। वे दतिया से भोपाल अपनी बेटी से मिलने आए थे और कोलार रोड पर अपने भाई के यहां रुके थे। रविवार अलसुबह पुलिस ने इस संबंध में मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। कजलीखेड़ा थाना प्रभारी पल्लवी पांडे के अनुसार 61 वर्षीय रितेश मिंज दतिया निवासी थे, वे चाय-पान की दुकान चलाते थे। कुछ दिनों पहले ही उनकी बेटी की शादी भोपाल में हुई थी। शादी-विवाह के बाद कार्यक्रम में शामिल होने वे दतिया से भोपाल आए थे और कोलार रोड में निवासरत भाई के घर दृष्टि सिटी कॉलोनी में शनिवार रात को रुके थे। रविवार सुबह उनकी ट्रेन थी, पंजाब मेल से उन्हें वापस जाना है। पुलिस का दावा है कि रात में रितेश और उनके भाई ने शराब भी पी थी। बुजुर्ग होने के कारण रात में वे फ्रेश होने उठे होंगे और अपना घर समझकर बालकनी की ओर चले गए।

टंट्या मामा के नाम से हिन्दी विवि में चार साल पहले बनी थी तीन बिल्डिंग

उद्घाटन के इंतजार में 80 करोड़ के हॉस्टल जर्जर, बाहर रह रहे विद्यार्थी

भोपाल. अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी यूनिवर्सिटी में छात्रों के लिए बनाए गए करोड़ों रुपए के हॉस्टल उद्घाटन के इंतजार में ही जर्जर होने लगे हैं। करीब 80 करोड़ रुपए की लागत से तैयार तीन हॉस्टलों का निर्माण वर्ष 2020 हुआ था। लेकिन आज तक इनमें छात्रों का प्रवेश शुरू नहीं हो सका है। टंट्या मामा के नाम से बने इन तीनों हॉस्टलों की क्षमता 100-100 सीट की है। भवन पूरी तरह तैयार होने के बावजूद न तो हॉस्टल आवंटन प्रक्रिया शुरू हुई और न ही फीस संरचना तय हो सकी। लंबे समय से बंद पड़े रहने के कारण भवनों में जगह-जगह रखरखाव की कमी दिखाई देने लगी है। हॉस्टल के आसापास घासफूस और झाड़ उग गया है।

दूरदराज के विद्यार्थी हो रहे परेशान: विश्वविद्यालय में वर्तमान में करीब 650 छात्र अध्ययनरत हैं, लेकिन उनके लिए अब तक आवासीय सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई है। दूर-दराज जिलों से आने वाले विद्यार्थियों को निजी किराए के कमरों या आवागमन पर निर्भर रहना पड़ रहा है। ग्राम मुगालिया कोट, सूखी सेवनिया स्थित विश्वविद्यालय परिसर लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है, लेकिन बुनियादी छात्र सुविधाएं अब भी अधूरी हैं। ऐसे में करोड़ों की लागत से बने हॉस्टल छात्रों के उपयोग के बजाय बंद भवन बनकर रह गए हैं।

नए सत्र से छात्रों को हॉस्टल की सुविधा मिल सकेगी। इसकी तैयार की जा रही है। फीस संरचना तय की जा रही है। रेनोवेशन साफ-साफ का काम जल्द शुरू किया जाएगा।

प्रो. देवराज हिंडोलिया, कुलगुरु, अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी यूनिवर्सिटी

40 पंचायत में बनेंगे विश्रामघाट

भोपाल @ पत्रिका. जिला पंचायत 40 ग्राम पंचायतों में विश्रामघाट तैयार कराएगा। इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। पिछले दो साल में बारिश के दौरान बिना शेड दाह संस्कार के मामले सामने आए थे। इनके वीडियो भी वायरल हुए थे। अब यहां बंद शेड के साथ अन्य व्यवस्थाएं की जाएगी। इसके लिए जनप्रतिनिधियों से उनकी निधि ली जाएगी। जिले में 200 ग्राम पंचायतें है। सभी ग्राम पंचायतों, गांवों में सुविधा का विस्तार होगा।

अवैध क्लिनिक मामले में फ्लैट सुपुर्द करने से इंकार

भोपाल @ पत्रिका. जिला अदालत ने शाहपुरा में डॉ. रिचा पांडे की मौत मामले से जुड़े आरोपी पति डॉ. अभिजीत के केस में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने एमपी नगर स्थित उस फ्लैट को सुपुर्दगी पर देने से इंकार कर दिया, जहां आरोपी द्वारा कथित रूप से अवैध क्लिनिक संचालित किया जा रहा था। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि संबंधित फ्लैट पुलिस द्वारा जब्त नहीं किया गया था, बल्कि एसडीएम कार्यालय और स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई के दौरान सील किया गया था। इसलिए ट्रायल कोर्ट को फ्लैट सुपुर्द करने का अधिकार नहीं बनता। जांच के दौरान प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने फ्लैट और उससे जुड़े कमरे की तलाशी ली थी। यहां से दवाइयां, कॉस्मेटिक सामग्री और पैकेजिंग से जुड़ा सामान मिला था। जांच रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया कि आरोपी के पास स्किन और कॉस्मेटिक उपचार से संबंधित कोई वैध प्रमाणपत्र नहीं मिला।

आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। अधिकारियों का कहना है कि बिना अनुमति क्लिनिक संचालन और उपचार से जुड़े दस्तावेजों की जांच जारी है। जानकारी अनुसार फ्लैट आलोक कुमार निगम और अतुल निगम का है। उन्होंने फ्लैट 11 महीने के किराए पर दिया था।

बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra
भारत सरकार का उद्यम
एक परिवार एक बैंक

अंचल कार्यालय:
1/14, प्रशासनिक जोन,
अरेरा हिल्स,भोपाल-462011
फोन नं. : 0755-2991917

बैंक ऑफ महाराष्ट्र को लीज़ आधार पर परिसर की आवश्यकता

बैंक ऑफ महाराष्ट्र को शाखा खोलने/शाखा स्थानांतरित करने तथा एटीएम की स्थापना के लिए पट्टे के आधार पर उपयुक्त परिसर, भूतल पर उचित अग्रभाग और पर्याप्त पार्किंग स्थान की आवश्यकता है। निम्न परिसर की आवश्यकता हैः-

स्थान	जिला	परिसर का अनुमानित कार्पेट क्षेत्र
अवधपुरी, भोपाल	भोपाल	1550 वर्गफिट
नसरुल्लागंज	सीहोर	1250 वर्गफिट
अरेरा कालोनी, भोपाल	भोपाल	1550 वर्गफिट

परिसर सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों की पुष्टि करने वाली एक अनुमोदित भवन में होना चाहिए। इच्छुक मालिक जिनके पास परिसर का स्पष्ट स्वामित्व है, वे अपने सीलबंद प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप में दो बोली प्रणाली यानी 1. तकनीकी बोली 2. वाणिज्यिक बोली में दो अलग-अलग सीलबंद लिफाफे में पोस्ट द्वारा या उपरोक्त वर्णित अंचल कार्यालय भोपाल में रखे टेन्डर बॉक्स में दिनांक **25/05/2026** से **08/06/2026** समय शाम **5:00** बजे तक जमा कर सकते हैं। बोली का प्रारूप हमारी वेबसाइट **https://bankofmaharashtra.bank.in** से डाउनलोड किया जा सकता है। अपूर्ण विवरण/ जानकारी वाले और अंतिम तिथि और समय के बाद प्राप्त प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया जाएगा। बैंक बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी प्रस्तावों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

दिनांक : **22.05.2026** प्राधिकृत अधिकारी, भोपाल अंचल

होटल संचालक से मारपीट कर फरार बदमाश गिरफ्तार, भेजा जेल

भोपाल @ पत्रिका. अयोध्या नगर पुलिस ने फरार चल रहे बदमाश रोबिन राय चौधरी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर होटल संचालक रितेश अग्रवाल से जबरदस्ती शराब पिलाने और पैसे मांगने को लेकर रुपए मांग की थी। पैसे नहीं देने पर आरोपियों ने फरियादी के साथ बेरहमी से मारपीट की थी। थाना प्रभारी महेश लिल्हारे ने बताया कि 15 नवंबर 2025 की रात मिनाल गेट नंबर-1 के पास आरोपी गौरव ठाकुर, रोबिन राय और रवि शर्मा ने रितेश अग्रवाल के साथ गाली-गलौज करते हुए लात-घूंसों से मारपीट की थी। मामले में केस दर्ज किया गया था। घटना के बाद पुलिस ने दो आरोपियों गौरव और रवि शर्मा को तुरंत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जबकि रोबिन फरार हो गया था।

दबिश देकर पकड़ा

फरार आरोपी की तलाश में पुलिस लगातार उसके ठिकानों पर दबिश दे रही थी। पुलिस कार्रवाई के डर से वह भोपाल छोड़कर भाग गया था और वापस आने के बाद भी घर नहीं जा रहा था। पुलिस ने सूचना मिलने पर सुभाष नगर इलाके में दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी रोबिन राय चौधरी जहांगीराबाद क्षेत्र का रहने वाला है और उसके खिलाफ मारपीट, धमकी, आर्म्स एक्ट और अड़ी बाजी समेत कई आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं।

एम्स में एनएसएस स्वयंसेवकों ने किया रक्तदान: भोपाल. राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) के स्वयंसेवकों ने रविवार को एम्स में रक्तदानकर किया। इस दौरान स्वयंसेवकों ने रक्तदान के प्रति जागरूकता फैलाने और जरूरतमंद मरीजों की सहायता का संदेश दिया। रक्तदान करने वालों में वैशाली रघुवंशी, आयुषी सिन्हा, आंचल शर्मा और राहुल लोधी सहित अन्य छात्र शामिल रहे।

पंजाब एण्ड सिंध बैंक (भारत सरकार का उपक्रम)
Punjab & Sind Bank (A Govt. of India Undertaking)
जहाँ सेवा ही जीवन-ध्येय है

अंचल: द्वितीय तल, भारतीय स्टेट बैंक के पास, नयापुरा, कोलार रोड, अकबरपुर, मेन कोलार रोड, भोपाल -462042
फोन : 0755-4249988, 4243700, 4203836

ई-नीलामी विक्रय सूचना

QR CODE FOR SERVICE PROVIDER

अचल संपत्ति की बिक्री के लिए ई-नीलामी के लिए सार्वजनिक सूचना दिनांक 10.06.2026 को दोपहर 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन (SARFAESI) अधिनियम, 2002 (2002 की संख्या 54) के अंतर्गत बैंक को गिरवी रखी गई अचल संपत्ति की बिक्री। जबकि, पंजाब और सिंध बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन (SARFAESI) अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत जारी नोटिस के अनुसार हमारी शाखा में निम्नलिखित ऋण खातों में निम्नलिखित संपत्ति/संपत्तियों का कब्जा ले लिया है, जिन्हें बैंक के बकाया की वसूली के लिए 'जैसा है, जहां है और जैसा है, के आधार पर' बेचने का अधिकार है। बिक्री https://www.Baanknet.com पर उपलब्ध कराए गए ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से नीचे हस्ताक्षरकर्ता द्वारा की जाएगी।

अचल संपत्ति का विवरण

क्र. सं.	शाखा / खाते / ऋणी / जमानतदारों के नाम	संपत्ति का विवरण	मांग सूचना दिनांक एवं बकाया राशि (रु.) +भविष्य में देय ब्याज एवं अन्य खर्च	आरक्षित मूल्य / धरोहर राशि / बिड बढ़ाने की राशि	Qr Code For Property Image/video	Qr Code For Property Location
1.	एम.पी. नगर शाखा, भोपाल ऋणी- **मेसर्स चिनार बिल्डर्स,** प्लाट नं. 231, चिनार हाउस, जोन-2, एम.पी. नगर, भोपाल जमानतदार : (1) **श्री गोपीचंद मूलचंदानी** पुत्र स्व. श्री राजल दास मूलचंदानी, 1, ईदगाह हिल्स, भोपाल (2) **श्री सुनील मूलचंदानी** पुत्र श्री गोपीचंद मूलचंदानी, 1, ईदगाह हिल्स, भोपाल (3) **श्रीमती अनु मूलचंदानी** पत्नि श्री सुनील मूलचंदानी, 1, ईदगाह हिल्स, भोपाल (4) **मेसर्स चिनार रियलटी प्रा. लि.,** प्लाट नं. 231, चिनार हाउस, जोन-2, एम.पी. नगर, भोपाल-462011 (5) **मेसर्स एचएनएम लिजिंग एण्ड फायनेंस प्रा. लि.** प्लाट नं. 231, चिनार हाउस, जोन-2, एम.पी. नगर, भोपाल-462011	फ्लैट नं. 604 (1700 वर्गफिट) स्थित छठी मंजिल "आनंद ब्लॉक" स्थित मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जिसे चिनार सफायर के नाम से जाना जाता है जिसका निर्माण भूमि स्थित खसरा नं. 147/9/3/2/1/के1 एवं 147/9/3/2/3, दो किता (कुल क्षेत्रफल-1.70 एकड़) ग्राम-बाबड़िया कलां, प.ह.नं. 42, वार्ड नं. 53, तहसील-हुजूर, जिला-भोपाल पर हुआ है, संपत्ति मालिक-चिनार बिल्डर्स कब्जे का प्रकार - भौतिक कब्जा	दिनांक : 18.10.2018 ₹ 2,17,06,216.67 +दिनांक 01.07.2018 से भविष्य में देय ब्याज एवं अन्य खर्च	₹ 35,37,000/- ₹ 3,53,700/- ₹ 36,000/-		

संपत्ति निरीक्षण दिनांक एवं समय : **08.06.2026** (सुबह 10.00 से दोपहर 3.00 बजे तक) ईएमडी एवं दस्तावेज जमा करने की दिनांक **09.06.2026** दोपहर 6.00 बजे तक

बोलीदाताओं द्वारा ईएमडी को ई-नीलामी पोर्टल अर्थात www.Baanknet.com/ पर उपलब्ध कराए गए अपने वॉलेट में एनईएफटी के माध्यम से स्थानांतरित किया जाएगा।
खाते का विवरण जिसमें ईएमडी के बाद शेष राशि एनईएफटी के माध्यम से जमा की जानी हैः , खाते का नाम- एनईएफटी पार्किंग खाता; खाता संख्या- 80215040070003; आईएफएस कोड- PSIB0008021
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया https://punjabandsindbank.co.in/module/sarfaesi-list & https://www.Baanknet.com देखें
इस नोटिस को नियम 8(6) प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन), नियम 2002 के तहत ऋणियों एवं जमानतदारों (एल/आर) को 15 दिनों की वैधानिक बिक्री नोटिस के रूप में भी माना जाना चाहिए।

प्राधिकृत अधिकारी का नाम एवं सम्पर्क : श्री रवि कुमार सोनी मोबाइल नं. + 91 8054053078

दिनांक : 25.05.2026 स्थान- भोपाल प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब एण्ड सिंध बैंक